निर्णय बइजलास द्वारा श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 84 /2017/रे0 वाद/

निर्णय दिनांक :– 8/2 /2018

अनवान
प्र0स0 84/2017 रे0 वाद

1–श्री राजेन्द्रसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपूत आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

2–श्रीमति गणेशकंवर बेवा नवलसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

3–अभयसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

4–श्रीमति भंवरकवर पुत्री नवलसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

5–श्रीमति गुडीकंवर पुत्री नवलसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

वादीगण

बनाम

1– श्री गजेन्द्रसिह पिता धनसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

2– श्री सम्पतसिंह पिता धनसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

3– श्रीमति सोहनकंवर बेवा धनसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

4–श्री जोरावरसिंह पिता चमनसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

निरन्तर पेज 2 पर

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवगढ़

Scanned by CamScanner

5—श्री जयसिंह पिता चमनसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

6—श्री गुमानसिंह पिता चमनसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

7—श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ जरिये प्रतिनिध राज्य सरकार तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

उपस्थित :—श्री लुम्बसिंह वकील वादी

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम देवरिया पता माद तहसील देवगढ में वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 से 6 सामलाती कृषि भुमि स्थित है जिसके खाता नं. 15 खसरा नं. 38 रकबा 20.08 ख.नं.95 रकबा 1.16 खसरा नं. 129 रकबा 1.01 खसरा नं. 206/55 शा. नं. 82/6 रकबा 0.05 कुल किता 4 रकबा 23.10 बीघा है। उक्त आराजियात पूर्व से ही मौके पर बंटी हुई है लेकिन राजस्व रेकार्ड में विभाजन दर्ज नही है जिससे वादी को उसकी भुमि के सुधार कार्य कराने भुमि पर ऋण लेने लगान जमा कराने आदि कार्य में परेशानी होती है इसलिये वादीगण इस सामलाती खाते भुमि का बंटवाडा करा अपना ख़ाता अलग से कायम कराना चाहता है। भुमि का बंटवाडा कराने हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा टालमटोल करते रहे तथा अन्त में प्रतिवादीगण ने बंटवाडे हेतु स्पष्ट मना कर दिया जिससे यह वादकरण पैदा हुआ है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर माफिक दर्ज रेकार्ड हिस्से एवं कब्जे अनुसार भुमि का बंटवाडा कराने की डिक्री फरमाई जावे साथ ही वादीगण अपनी भुमि में आ—जा रहा है उस रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन करया जाकर इसी आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये गये । प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण को सम्मन तामिल हो जाने पर भी बावजूद सुचना अनुपस्थित रहे जिस पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है। वकील वादी का एकपक्षीय बहस सुनि। विद्वान वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि वादग्रस्त भुमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं.1 से 6 की सामलाती खाते की भूमि की सामलाती खातेदारी खाते का होने से वादीगण को भुमि का लगान जमा कराने

निरन्तर पेज 3 पर

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवगढ़

Scanned by CamScanner

भुमि पर ऋण लेने एवं भुमि के विकास जेसे कार्यो में परेशानी का सामना करना पडता है। मौके पर भुमि बंटी हुई है लेकिन रेकार्ड में बंटी हुई न होकर सामलाती खाते दर्ज है। भुमि का विधिवत रूप से बंटवाडा होकर वादीगण का हिस्सा उसके पृथक खाते दर्ज हो जाता है तो इस सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा । अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भुमि का माफिक दर्ज रेकार्ड हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा किया जाकर वादीगण का खाता पृथक से कायम काराने के आदेश एवं इसी आशय का डिक्री प्रदान कराई जावे।

हमने वादीगण के वादपत्र नकल जमाबंदी एवं पत्रावली एवं में संलग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया। ग्राम देवरिया पटवार हल्का माद तहसील देवगढ की जमाबंदी संख्या 2071 से 2074 में वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 से 6 वादग्रस्त भुमि के सह खातेदार है । सहखातेदार उसकी सुविधा हेतु संयुक्त खाते की भुमि का बंटवाडा करा उसका खाते पृथक से कायम करा सकता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देवरिया पटवार हल्का माद तहसील देवगढ में स्थित वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का संयुक्त खातेदारी भुमि खा.नं. 15 ख. नं38 रकबा 20.08, खा.नं. 95 रकबा 1.16 ख.नं. 129 रकबा 1.01 एवं खसरा नं.206/55 शा. नं. 82/6 रकबा 0.05 बीघा कुल किता 4 रकबा 23.10 बीघा भुमि का माफिक दर्ज रेकार्ड हिस्से एंव मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि आदेशानुसार बंटवाडा एवं खेतो में आने जाने का रास्ता कुंए पर जाने का अंकन करे एवं प्रस्ताव तेयार कर बंटवाडा प्रस्ताव 2 प्रतियोमे मय नक्शा ट्रेश के 07 दिवस में पेश करे । बंटवाढा प्रस्ताव में भुमि में आने जाने के रास्ते का अंकन किया जावे । प्रत्रावली वास्ते प्राप्त करने बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 5.3.15 को पेश हो। वादीगण वादग्रस्त कुलिया भुमि के लगान का 5 गुणा राशि के नोन ज्युडिशीयल स्टाम्प पेश करे तदनुसार प्रारम्भीक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.2.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया। प्रत्रावली वास्ते प्राप्त करने बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 19.4.18 को पेश हो।

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवगढ़

उपखण्ड अधिकारी देवगढ
सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द
जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकद्वमे अन्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/ उपखण्ड अधिकारी देवगढ

ब इजलारा श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़

वादी एंव प्रतिवादीगण का विवरण पिछे अंकित है

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.
मुकदमा नं.84 /17 रे.वाद सन् 2017

यह मुकद्वमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू .... मिनजनिब मुद्वायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री कीया जाता है कि ग्राम ग्राम ग्रामम देवरीया पटवार हल्का माद तहसील देवगढ में स्थित वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक से 5 की संयुक्त खातोदारी भुमि खाता नं0 15 के ख.0न0 38 रक्बा 20.08 ख.न. 95 रक्बा 1.16 ख.न. 129 रक्बा 1.01 एंव ख0न0 206/55 शा0न0 82/6 रक्बा 0.05 बीघा कुल किता 4 रक्बा 23.10 बीघा भुमि का वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के मध्य माफिक दर्ज रेकार्ड हिस्से एंव कब्जे व रास्ते को दरशाते हुए के बंटवाडा करने के आदेश प्रदान दिया जाता है ।

नीज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकद्वमें के मय सूद व शहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से वसूलयाबी तक .... का अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 8 मास 2 सन 2018

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला – राजसमन्द

मुद्वेई	रूपया	पै	मुद्वायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	2.00		स्टाम्प वकालात नामा		
स्टाम्प वकालातामा	1.00		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) रू0		
महनताना वकील) रू0			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफॅरिक		
मुतफॅरिक	10		मिजान		
मिजान	13.00				

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फॅरिकन का चाह डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवगढ़

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

1—श्री राजेन्द्रसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपूत आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

2—श्रीमति गणेशकंवर बेवा नवलसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

3—अभयसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

4—श्रीमति भंवरकवर पुत्री नवलसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

5—श्रीमति गुडीकंवर पुत्री नवलसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

वादीगण

बनाम

1— श्री गजेन्द्रसिह पिता धनसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

2— श्री सम्पतसिंह पिता धनसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

3— श्रीमति सोहनकंवर बेवा धनसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

4—श्री जोरावरसिंह पिता चमनसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

5—श्री जयसिंह पिता चमनसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

6—श्री गुमानसिंह पिता चमनसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम देवरीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

7—श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

सत्य प्रतिलिपि

रीडर

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवगढ़

...कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

Scanned by CamScanner